ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-6* September-2021
Anthology : The Research

आर० एम0 हेयर के सार्वभौमिक परामर्शवाद का आलोचनात्मक अध्ययन

A Critical Study of RM Hare's Universal Prescriptivism

Paper Submission: 11/09/2021, Date of Acceptance: 23/09/2021, Date of Publication: 24/09//2021

कोमल कुशवाहा
शोध छात्रा,
दर्शनशास्त्र विभाग,
इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, प्रयागराज,
भारत

Abstract

सार्वभौमिक परामर्शवाद नैतिक निर्णय के अर्थपूर्णता के संबंध में एक सिद्धांत है, जिसका कार्य अन्य को परामर्श देना है, किन्तु यह परामर्श व्यष्टिगत न होकर समव्यष्टिगत होता है। आशय यह है कि जब कोई नैतिक निर्णय प्रस्तुत किया जाता है तो समान परिस्थितियां होने पर समस्त व्यक्तियों पर लागू होता है। प्रस्तुत शोध पत्र की मुख्य समस्या हेयर के सार्वभौमिक परामर्शवाद के आधार पर नैतिक निर्णय के अर्थ का स्पष्टीकरण करना है? तथा यह देखना है कि हेयर के सार्वभौमिकता का नियम किन तीन शर्तों पर आधारित है? तथा यह भी देखना है कि उनका यह सिद्धांत कान्ट के सार्वलौकिकता के नियम से किस प्रकार संबंधित है। इस समस्या के मद्देनजर मेरे शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य हेयर के सार्वभौमिक परामर्शवाद को स्पष्ट करना एवं सार्वभौमिकता के नियम के तीन शर्तों यथा, (1) तथ्य, (2) कल्पना शक्ति, एवं (3) हित का वर्णन करना है। इसके साथ ही कान्ट के सार्वलौकिकता के नियम से हेयर के उपर्युक्त सिद्धान्त की तुलना करना है। तत्पश्चात् हेयर के सार्वजनिक परामर्शवाद में निहित त्रुटियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। अन्त में, निष्कर्ष में यह देखना है कि उनका उपर्युक्त सार्वभौमिक परामर्शवाद कहाँ तक औचित्यपूर्ण एवं समीचीन है।

Universal prescriptivism is a theory regarding the meaningfulness of moral judgment, the function of which is to advise others, but this advice is not individual, but it is holistic. The implication is that when a moral judgment is presented, it applies to all persons under similar circumstances. The main problem of the present research paper is to explain the meaning of moral judgment on the basis of Hare's universal prescriptivism. And it is to be seen that on which three conditions is Hare's law of universality based? And it is also to be seen how his theory is related to Kant's law of universality. In view of this problem, the main objective of my research paper is to clarify Hare's universal prescriptivism and to describe the three conditions of the law of universality, namely, (1) fact, (2) imagination, and (3) interest.Along with this, the above principle of Hare has to be compared with Kant's law of universality. Then there is a critical study of the flaws inherent in Hare's public prescriptivism. In the end, it is to be seen in the conclusion that to what extent his above universal prescriptivism is justified and expedient.

मुख्य शब्द - नैतिक निर्णय, सार्वभौमिक परामर्शवाद, चयन एवं मानव-आचरण, हित सम्बन्धी उपयोगितावाद, औचित्यिकरण

Keywords: Ethical Decision Making, Universal Prescriptivism, Selection And Human Behavior, Utilitarianism Of Interest, Justification

प्रस्तावना

अधिनीतिशास्त्री आर0 एम0 हेयर (मार्च 21, 1919 - जनवरी 29, 2002) सार्वभौमिक परामर्शवाद के प्रख्यात व्याख्याता हैं, उनका यह सिद्धान्त असंज्ञानवादी अधिनैतिक सिद्धान्त से सम्बन्धित है। इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य नैतिक भाषा के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए इसकी सत्यता एवं सार्थकता की चर्चा करना है। उन्होनें अपनी पुस्तक *The Language of Morals*[1], *Freedom and Reason*[2] तथा *Moral Thinking*[3]में अपने सिद्धान्त की सविस्तार चर्चा की। सार्वभौमिक परामर्शवादी असंज्ञानवाद स्वीकार करता है कि नैतिक निर्णय किसी कर्म को क्रियान्वित करने हेतु अथवा आचरण करने हेतु पथ-प्रदर्शित करता है। ये निर्णय प्राथमिक रुप से तथ्यों से संबंधित न होकर आज्ञा व आदेश से संबंधित हैं किन्तु यह आदेश व्यष्टिगत आदेश न होकर समव्यष्टिगत आदेश है अर्थात् यह आदेश द्वितीय पुरुष एकवचन 'You' से संबंधित न होकर समस्त व्यक्तियों से एवं समस्त काल (भूत, भविष्य एवं वर्तमान) से होता है। जैसे- 'सार्वजनिक स्थानों में

धूम्रपान का सेवन करना मना है।' हेयर के अनुसार नैतिक भाषा इसी स्वरुप के होते हैं जो सभी समय एवं सभी व्यक्तियों से संबंधित होता है।

शोध पत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य हेयर के सार्वभौमिक परामर्शवाद को स्पष्ट करना एवं सार्वभौमिकता के नियम के तीन शर्तों यथा, (1) तथ्य, (2) कल्पना शक्ति, एवं (3) हित का वर्णन करना है। इसके साथ ही कान्ट के सार्वलौकिकता के नियम से हेयर के उपर्युक्त सिद्धान्त की तुलना करना है। तत्पश्चात् हेयर के सार्वजनिक परामर्शवाद में निहित त्रुटियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। अन्त में, निष्कर्ष में यह देखना है कि उनका उपर्युक्त सार्वभौमिक परामर्शवाद कहाँ तक औचित्यपूर्ण एवं समीचीन है।

सार्वभौमिक परामर्शवाद

हेयर *The Language of Morals* में स्वीकारते हैं कि नैतिक निर्णय मानव-आचरण एवं चयन के सामान्य सिद्धान्त पर आधारित होती है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति किसी नैतिक निर्णय स्वीकारता है तो वह उसके अनुरुप आचरण भी करता है। किन्तु वे इसके लिए कोई तर्कसंगत विचार प्रस्तुत नहीं करते कि ये निर्णय चयनएवं तद्रुरुप आचरण पर क्यों निर्भर है। इस सम्बन्ध में वे अपनी द्वितीय पुस्तक *Freedom andReason*में स्वीकार करते हैं कि नैतिक निर्णय का चयन करने एवं उसके अनुरुप आचरण करने का मुख्य आधार उसमें निहित *सार्वभौमिकता का तत्व* है। हेयर सार्वलौकिकता के नियम को नैतिक निर्णयों की तर्कसंगतता का प्रमुख आधार मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अन्य व्यक्तियों के कर्मों के सन्दर्भ में स्वीकारात्मक निर्णय देने के पश्चात् भी स्वयं के कर्मों के सन्दर्भ में नकारात्मक निर्णय देता है तो उससे यह प्रश्न करना चाहिए कि किस नियम के अनुसार समान कार्य के लिए दो भिन्न निर्णय दिया जा रहा है। क्योंकि सार्वलौकिकता के नियम के अनुसार समान परिस्थिति होने पर समान कार्य के लिए सभी व्यक्तियों को समान निर्णय प्रस्तुत किया जाता है। ध्यातव्य हो कि हेयर सार्वलौकिकता के नियम को नैतिक नियम न मानकर तार्किक नियम के रुप में स्वीकार करते हुए कहते हैं कि "Offences against the thesis of universalizability are logical, not moral. If a person says 'I ought to act in a certain way, but nobody else ought to act in that way in relevantly similar circumstances', then, on my thesis, he is abusing the word 'ought'; he is implicitly contradicting himself"[4];अर्थात् सार्वलौकिकता के नियमों का उल्लंघन तार्किक दोष है, नैतिक दोष नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि 'मुझे अमुक ढंग से कार्य करना चाहिए, किन्तु समान परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति को सापेक्षतापूर्वक उस ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए', तो मेरे सिद्धान्तानुसार, वह 'चाहिए' नामक पद का दुष्प्रयोग कर रहा है। स्पष्टतः वह स्वयं का ही विरोध कर रहा है।

हेयर ने अपनी पुस्तक *Freedom and Reason* में काण्ट के सार्वभौमिकता के नियम से प्रभावित होकर ही नैतिक निर्णय के सम्बन्ध में सार्वलौकिकता के नियम को स्वीकार किया। सार्वभौमिकता के नियम की व्याख्या करते हुए काण्ट कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को केवल ऐसे नियम के आधार पर आचरण करना चाहिए जिसे वह सार्वभौमिक नियम के रुप में स्वीकार करने का संकल्प कर सके।[5] काण्ट के इसी नियम के प्रभाव में आकर हेयर कहते हैं कि 'यह पूछना कि क्या इन परिस्थितियों में मुझे 'क' नामक कर्म करना चाहिए, यह पूछने के समान है कि क्या मैं यह इच्छा करता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में 'क' नामक कर्म करना सार्वभौमिक नियम बन जाना चाहिए।'[6] आशय यह है कि उन परिस्थितियों में 'क' नामक कर्म के प्रति मैं किस प्रकार का दृष्टिकोण स्वीकार करुँगा। पुनश्च् वे कहते हैं किवर्णनात्मक कथन एवं नैतिक निर्णय इस तथ्य के कारण समान हैं कि वे दोनों सार्वभौमिक होते हैं।[7] किन्तु हेयर एवं काण्ट के सार्वभौमिकता का नियम पूर्णतया समान नहीं है। कारण कि काण्ट के सार्वभौमिकता का नियम एक 'नैतिक नियम' है जो कि पक्षपात, व्यक्तिगत हित एवं इच्छा से स्वतंत्र होकर कर्म चयन का आदेश देता है। दूसरी ओर हेयर के सार्वभौमिकता का नियम एक 'तार्किक नियम' है। जिस प्रकार हम समान रंग वाली दो वस्तुओं में से एक को 'लाल' और दूसरी को 'काला' नहीं कह सकते ठीक उसी प्रकार हम समान गुणों वाले व्यक्तियों के कर्म एवं आचरण में से एक को 'उत्कृष्ट' एवं दूसरे को 'अनुत्कृष्ट' नहीं कह सकते। इसी प्रकार हेयर का उपर्युक्त विचार नैतिक भाषा के अर्थ-विश्लेषण से सम्बन्धित है।ध्यातव्य हो कि हेयर काण्ट के सार्वलौकिक मत से प्रभावित होते हुए भी कर्तव्यवाद की अपेक्षा उपयोगितावाद से अधिक प्रभावित थे। कारण कि जहाँ कर्तव्यवाद के अनुसार, वही कर्म उचित है जो कि कर्तव्य की दृष्टि से किया गया हो जिसमें व्यक्तिगत हित एवं इच्छा का कोई स्थान नहीं है वहीं हेयर स्वीकारते हैं कि उसी नैतिक निर्णय को सार्वलौकिक नियम के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं जिसमें अन्य व्यक्तियों की इच्छा एवं हित को सर्वोपरि स्थान दिया गया हो।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी नैतिक निर्णय को प्रस्तुत करता है तो सार्वलौकिकता के तार्किक नियम के अनुसार वह स्वयं तथा समान परिस्थितियों के विद्यमान होने पर अन्य व्यक्ति भी वैसा आचरण करने के लिए बाध्य है।

वास्तव में हेयर के सार्वभौमिकता का विचार तीन शर्तों पर आधारित है- (1) तथ्य (2) कल्पनाशक्ति (3) हित। ये तीनों शर्त नैतिक निर्णय के औचित्यिकरण के उचित मापदण्ड हैं। हेयर सबसे महत्वपूर्ण समस्या एवं शर्त, तथ्यों की समस्या को स्वीकार करते हैं। हेयर के अनुसार किसी भी नैतिक निर्णय को प्रस्तुत करने से पूर्व हमें सर्वप्रथम उन विशेष तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए जो कि उस समस्या से सम्बन्धित है तथा जिसके सम्बन्ध में नैतिक निर्णय प्रस्तुत किया जा रहा है। इस समस्या से सम्बद्ध सभी आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दिये बिना हम इसके सम्बन्ध में अपने नैतिक निर्णय की पुष्टि नहीं कर सकते। अभिप्राय यह है कि नैतिक निर्णय के समर्थन में हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्येक तर्क अप्रासंगिक एवं प्रभावहीन हो जाता है यदि हम सम्बद्ध तथ्यों की उपेक्षा करते हैं। किसी भी नैतिक निर्णय को प्रस्तुत करने के पहले हमें इन प्रश्नों पर विचार कर लेना चाहिए कि तथ्य क्या है? उसका परिणाम क्या होगा? तथा परिस्थिति क्या है? आदि। इन समस्याओं पर विचार करने से नैतिक निर्णय को सार्वभौमिक नियम बनाने में सहायता मिलती है।

तत्पश्चात् नैतिक निर्णय को सार्वभौमिक निर्णय के रुप में परिवर्तित करने हेतु हेयर ने एक द्वितीय महत्वपूर्ण शर्त 'कल्पनात्मक शक्ति' को स्वीकार किया है।वे कहते हैं कि हमें किसी अन्य व्यक्ति के लिए वही निर्णय प्रस्तुत करना चाहिए जिसे सामान्य परिस्थितियों में हम स्वयं के लिए परिकल्पना कर सके। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहता है कि 'अमुक व्यक्ति को कोड़ो से प्रताड़ित करना चाहिए क्योंकि वह अवज्ञाकारी है' तो हेयर के अनुसार उस व्यक्ति को परिकल्पना करना चाहिए कि उसके स्थान पर यदि मैं होता तो क्या मुझे स्वीकार होता।[8]

सम्भव है कि दो व्यक्तियों की अकांछाओं एवं प्रवृत्तियों में भेद हो जिसके माध्यम से किसी भी नैतिक निर्णय को सार्वभौमिक रुप से स्वीकार करने में कठिनाई उत्पन्न हो। यही कारण है कि हेयर स्वीकारते हैं कि नैतिक निर्णय के सम्बन्ध में अन्य व्यक्तियों की इच्छाओं तथा प्रवृत्तियों (हितों) पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उपयोगितावाद से प्रभावित होकर वे *Freedom and Reason*में कहते हैं कि "The principle often accepted by utilitarians, 'Everybody to count for one, nobody for more than one' can both be justified by the appeal to the demand for universalizability"[9];स्पष्टतः उपयोगितावादियों द्वारा स्वीकृत सिद्धान्त कि 'सभी व्यक्तियों को एक मानों' एवं 'किसी को भी दूसरे से भिन्न मत समझो', दोनों ही कथनों द्वारा सार्वभौमिक नियम को सत्यापित किया जा सकता है। उपयोगितावाद के इसी नियम से ही प्रभावित होकर वे कहते हैं कि नैतिक निर्णय को सार्वभौमिक बनाने के लिए आवश्यक है कि मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को सर्वोपरि स्थान दिया जाए। सार्वभौमिकता सम्बन्धी उनका विचार काण्ट के इस विचार से प्रभावित है कि हमें तब तक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे सार्वभौमिक नियम के रुप में स्वीकार करने की *इच्छा* प्रकट न कर सकें। यहाँ इच्छा नामक पद को किसी आदेश की स्वीकृति के लिए अनिवार्य माना गया है।

किन्तु हेयर का हित सम्बन्धी उपयोगितावाद (Preference Utilitarianism) पराम्परागत उपयोगितावाद से भिन्न है।कारण कि पराम्परागत उपयोगितावाद के अनुसार वही कर्म उचित है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के अनुरुप हो जबकि हेयर के उपयोगितावाद के अनुसार वह कर्म उचित है जो कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित एवं इच्छा के अनुरुप हो।

वस्तुतः किसी कर्म के औचित्यिकरण को सिद्ध करने हेतु हेयर नेMoral Thinkingमें दो स्तरों के नैतिक चिन्तन को स्वीकार किया, (1) गहन नैतिक चिन्तन (Critical level of moral thinking) एवं (2) अन्तःप्रज्ञासम्बन्धी नैतिक चिन्तन(Intuitive level of moral thinking)।[10] प्रथम प्रकार के चिन्तन के अन्तर्गत उपर्युक्त तीन बिन्दुओं (तथ्यता, कल्पना, हित) पर गहन चिन्तन करके नैतिक निर्णय प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणार्थ, 'अमुक व्यक्ति दण्डित किया जाना चाहिए' इस निर्णय को प्रस्तुत करने से पहले इसके तथ्य की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि यह निर्णय सम्बन्धित है। माना कि वह तथ्य यह है कि 'वह व्यक्ति अपने इस वादा से मुकर रहा है कि वह मुझे मेरा पैसा वापस कर देगा'। हेयर के अनुसार इस निर्णय के सम्बन्ध में हमें यह कल्पना करना चाहिए कि क्या समान परिस्थिति होने पर मैं अपने लिए भी समान निर्णय प्रस्तुत करूँगा। इस कल्पना शक्ति से वह यह अनुमान लगा सकता है कि उसके इस निर्णय से उस व्यक्ति के हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिसके फलस्वरुप वह अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऐसा कोई निर्णय नहीं देगा जो वह स्वयं के सम्बन्ध में देना पसन्द नहीं करता है।किन्तु हेयर के अनुसार मात्र हित एवं इच्छाओं के आधार पर किसी कर्म को उचित नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, एक रुपवती स्त्री किसी क्लब में गलत तरीके से पर्याप्त धन जुटा लेती है जिससे सम्बद्ध पक्षों के इच्छा की पूर्ति भी होती है किन्तु सम्बद्ध पक्षों की तृप्ति अथवा इच्छापूर्ति के आधार पर इस कर्म को नैतिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता कारण कि यह कर्म उस आदर्श के विरुद्ध है जिसके अनुसार नारी के शील अथवा सतीत्व को पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि हेयर द्वितीय स्तर के नैतिक चिन्तन को स्वीकार करते हैं।

हेयर के अनुसार व्यक्ति को अपनी अन्तःप्रज्ञा के माध्यम से कुछ आदर्श ज्ञात हैं जो कि उन्हें अतीत के अनुभव से प्राप्त होती है। इसके अन्तर्गत वही निर्णय उचित है जो कि इस आदर्श के अनुरूप

होती है।[11] किन्तु 'अन्तःप्रज्ञा सम्बन्धी नैतिक चिन्तन' के अतिरिक्त 'गहन नैतिक चिन्तन' को स्वीकार करने का हेयर का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुछ नैतिक समस्या पूर्णतया नवीन होती है जिसका समाधान अतीत के अनुभव से करना असम्भव है; जैसे, 'वादा से मुकरने वाले व्यक्ति को दण्डित किया जाना चाहिए अथवा नहीं'। इसके समाधान के लिए हेयर 'गहन नैतिक चिन्तन' को स्वीकार करते हैं।

इस प्रकार हेयर हित एवं आदर्श दोनों को नैतिक निर्णय के लिए अनिवार्य आधार मानते हैं जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि 'अमुक कर्म करना सर्वोत्तम है'। यद्यपि कि इन आधारों में कुछ सम्बन्ध है किन्तु इन्हें एक-दूसरे से भिन्न रखना चाहिए।

अब हम निम्न खण्ड में देखेगें कि हेयर के सिद्धान्तों के समक्ष चुनौतियाँ क्या है, तत्पश्चात् देखेंगे कि इनका समाधान वे किस प्रकार करते हैं।

आलोचनात्मक अध्ययन

मैकिन्टायर हेयर के इस मत का खण्डन करते हैं कि *सार्वलौकिकता* नैतिक निर्णयों की अनिवार्य विशेषता है। पुनश्च् वे कहते हैं कि नैतिक निर्णयों के अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं जिन्हें वक्ता स्वयं सार्वलौकिक स्वीकारने के लिए उद्यत नहीं होता। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति कहता है कि 'मुझे युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए', किन्तु इसके साथ ही वह यह भी कह सकता है कि 'जो व्यक्ति युद्ध में भाग लेते हैं उनकी आलोचना या निन्दा करना मेरे लिए उचित नहीं होगा'।[12] इस प्रकार जो नैतिक निर्णय हम स्वयं के लिए लेते हैं उसे सार्वलौकिक होना अनिवार्य नहीं है। हेयर के परामर्शवादी विचार की आलोचना करते हुए जी0 जे0 वॉरनाक अपनी पुस्तक *Contemporary Moral Philosophy* [13] में स्वीकार करते हैं कि हेयर का परामर्शवादी विचार अत्यन्त सीमित एवं संकुचित है।वे कहते हैं कि हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नैतिक निर्णय सदैव एक ही प्रकार के वाक्-क्रिया (Speech act) को सम्पादित करते हैं। पुनश्च् वे कहते हैं कि नैतिक निर्णय परामर्शी कार्य तक सीमित नहीं हैं, अपितु इनके दर्जनों कार्य हैं। उनके अनुसार, "They may be prescribing, certainly; but also they may be advising, exhorting, imploring; commanding, condemning, deploring; resolving, confessing, undertaking; and so on, and so on"[14]; स्पष्टतः ये निर्णय निश्चित रुप से परामर्शी हो सकते हैं; किन्तु ये आदेशसूचक, प्रवर्तनात्मक, प्रार्थनासूचक; आज्ञात्मक, प्रशंसात्मकपूर्ण, निन्दासूचक; समाधानयुक्त, स्वीकारात्मक, वचनसूचक आदि हो सकते हैं।

ध्यातव्य हो कि जी0 जे0 वॉरनाक अपने उपर्युक्त मत की स्थापना पी0 एच0 नॉवेल-स्मिथ के विचारों से प्रभावित होकर किया था। उपर्युक्त सन्दर्भ में वॉरनाक के विचारों के प्रस्तुतीकरण के पूर्व ही 1954 में पी0 एच0 नॉवेल-स्मिथ ने अपनी पुस्तक *Ethics*[15]मेंनैतिक भाषा को बहु-उद्देश्यीय (Multi-Functional) माना था। यही कारण है कि नैतिक शब्दों के उपयोग की एक सारणी प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि "To express tastes and preferences, to express decisions and choices, to criticize, grade, and evaluate, to advise, admonish, warn, persuade and dissuade, to praise, encourage and reprove, to promulgate and draw attention to rules; and doubtless for other purposes also"[16];स्पष्टतः नैतिक निर्णय का कार्य पसन्द और अभिरुचि को अभिव्यक्त करने, निर्णय एवं चयन को अभिव्यक्त करने, निन्दा करने, श्रेणीबद्ध करने, एवं मूल्यांकन करने, सलाह देने, भर्त्सना करने, चेतावनी देने, प्रोत्साहित करने एवं हतोत्साहित करने, प्रशंसा करने, उकसाने और आक्षेप करने, उद्घोषित करने तथा नियमों के प्रति ध्यान आकर्षित करने, तथा निस्संदेह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी किया जाता है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हेयर का मत अधिक तर्कसंगत एवं समीचीन है। कारण कि इन्होंने एक ऐसे नैतिक पद के अर्थ को संरचित किया जो कि सभी व्यक्तियो की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए सार्वभौमिक नियम एवं परामर्शात्मक बल से युक्त है। हेयर की ही भांति नॉवेल-स्मिथ भी स्वीकारते हैं कि नैतिक निर्णय सार्वलौकिक है कारण कि यदि कोई व्यक्ति अन्य के लिए कोई नैतिक निर्णय देता है तो समान परिस्थिति में स्वयं के लिए भी उस प्रकार के निर्णय देने के लिए बाध्य है।किन्तु हेयर के दर्शन की सबसे बड़ी भूल यह हो गयी कि उन्होंने नैतिक भाषा के *बहुद्देश्यीय कार्य*(Multifunction task) को नहीं समझा तथा उसे मात्र परामर्शात्मक भाषा का एक रूप माना। यही कारण है कि तर्कसंगत नैतिक नियम को प्रस्तुत करने के बावजूद भी आलोचकों की दृष्टि से वे अपने सिद्धान्त को सुरक्षित न रख सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Hare, R. M. (1952).The Language of Morals. New York: Oxford University Press.*
2. *Hare, R.M. (1963). Freedom and Reason. Oxford: The Clarendon Press.*
3. *Hare, R.M. (1981). Moral Thinking: Its Levels, Method and Point. New York: Oxford University Press.*
4. *Hare, R.M. (1963). Freedom and Reason. Oxford: The Clarendon Press, 32.*
5. *Kant, I. (1785). Groundwork of the Metaphysics of Morals. Ellington, J. W. (Trans.). U.S.: Hackett, 30.*
6. *Hare, R.M. (1963). Freedom and Reason. Op. cit., 15-16.*
7. *Ibid., 12.*
8. *Ibid., 126-127.*
9. *Ibid., 118.*
10. *Hare, R.M. (1981). Moral Thinking, ItsLevels, Method and Point. Op. cit., chap. 2&3.*
11. *Ibid, 38.*
12. McIntyre*, A. C. (1957). "What morality Is not". Philosophy, 32 (123), 325-335.*
13. *Warnock, G. J. (1967). Contemporary Moral Philosophy. London: Macmillan and Co. Ltd.*
14. *Ibid., 35.*
15. *Nowell-Smith. (1954). Ethics. England: Penguin Book Ltd.*
16. *Ibid., 98.*